राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर

कमांक : अराज/सामान्य/08/56 दिनाँक : 23/1/09

निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
(ईएसआई/भ्रमणशील चिकित्सा ईकाई)
राजस्थान जयपुर।

निदेशक,
पुर्नवास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर।

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
जोन – राजस्थान।

समस्त अधीक्षक,
संलग्न चिकित्सालय समुह, राजस्थान

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

प्रधानाचार्य, आरएफपीटीसी, जयपुर/अजमेर।

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया हे कि कर्मचारी अक्सर बिना अवकाश स्वीकृत कराये अथवा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कर्तवय से स्वेच्छा से अनुपस्थित हो जाते है एवं लम्बे अंतराल तक, यहां तक कि पाँच वर्ष से भी अधिक अवधि तक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहते है। परन्तु उनके विरूद्व नियमों में उपलब्ध प्रावधानों के तहत कोई कार्यवाही नही की जाती है, जो बहुत ही गंभीर एवं आपत्तिजनक है।

पाँच वर्ष व उससे अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने के पश्चात कर्मी के उपस्थिति देने पर जिला एवं जोन अधिकारी ऐसे मामलों को निदेशालय हेतु अग्रिम आदेशार्थ अग्रेषित कर देते है, यह प्रवृति नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नही है।

राजस्थान सेवा नियम 86 (4) में स्पष्ट प्रावधान है कि जो कर्मचारी निरन्तर पाँच वर्ष या उससे अधिक अवधि तक स्वेच्छपूर्वक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित अथवा अवकाश पर रहे, ऐसे कर्मी को स्वतः त्याग पत्र दिया हुआ मानकर राज्य सेवा से मुक्त कर देना चाहिये। परन्तु जिला/जोन स्तर के अधिकारी नियमों में स्पष्ट प्रावधान होने के उपरान्त भी समय पर कार्यवाही नही करते है, जिससे राजकार्य तो बाधित होता ही है, साथ ही विभाग के समक्ष भी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

अतः समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के आपके अधीन लम्बित प्रकरणों में उपरोक्त उल्लेखित नियम के तहत तत्काल कार्यवाही की जावे तथा जो मामले निदेशालय स्तर से निस्तारित किये जाने है, उन्हे एकजाई रूप से विशेष वाहक के साथ तुरन्त निम्नहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायें जावे।

भविष्य के लिये भी यह समुचित व्यवस्था करें कि इस प्रकार के मामले किसी भी स्थिति में लम्बित नही रहे एवं समय पर कार्यवाही करें तथा निदेशालय को अग्रेषित किये जाने वाले मामले उपरोक्तानुसार विशेष वाहक के साथ माह के प्रथम सप्ताह में भिजवा दिये जावें।

यह सुनिश्चित कर ले कि भविष्य में यदि ऐसे प्रकरण लम्बित होना पाये गये, तो दोषियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिये जावेंगें ।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

कमांक : अराज/सामान्य/08/55 दिनाँक : 23/1/09

प्रतिलिपी : समस्त कार्यालय अधीक्षक/प्रभारी संस्थापन अनुभाग, निदेशालय।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)